B.A. part III
VIII paper

Q-A

हर्षवर्द्धन के बाँसखेड़ा ताम्र अभिलेख

Bashkhera copper plate iscription of Harsha Vardhan.

सन् 1894 ई० में शाहजहाँपुर (U.P) से 25 मी० दूर बाँसखेरा नामक गाँव में हर्षवर्द्धन का यह ताम्रअभिलेख पाया गया था। आजकल यह अभिलेख लखनऊ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस अभिलेख में 18 पंक्तियाँ हैं और इसका आकार 19x3" है। यह अभिलेख पूर्ण स्पष्ट नहीं है। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी है।

वंशावली:—

यह अभिलेख एक दानपत्र है। यह दानपत्र वर्धमान कोटि की सैनिक छावनी से हर्षवर्द्धन द्वारा जारी किया गया था। इस अभिलेख में हर्षवर्द्धन के खानदानों की वंशतालिका का वर्णन है जो इस प्रकार है।

1. महाराज नरवर्द्धन — वज्रिणि देवी।
2. " राज्यवर्द्धन — अप्सरा देवी।
3. " आदित्यवर्धन — महासेन गुप्ता देवी
4. महाराजाधिराज प्रभाकर वर्द्धन — यशोमति देवी
5. " राज्यवर्द्धन द्वितीय —
6. " हर्षवर्द्धन —

धार्मिक झुकाव —

इस अभिलेख में प्रथम तीन तक राजाओं के लिए महाराजा की पदवी दी गई है परन्तु अन्तिम तीन राजाओं के लिए परमभट्टारकमहाराजाधिराज की उपाधी प्राप्त है। परमभट्टारक का अर्थ होता है सूर्य का "उपासक"। राज्यवर्द्धन ने अपने आपको सुगत (बुद्ध) का मुख्य उपासक माना है। हर्षवर्द्धन ने अपने को महेश्वर का उपासक बतलाया है। अतः इस कारण उनकी उपाधियों में भिन्नता है।

शासन प्रबन्ध :→

यह ताम्रपत्र हर्षवर्द्धन ने अपने अधिकारियों को प्रेषित किया गया था जो इस प्रकार है! — महासामन्त या महाराज दौस्साधसाधनिक, प्रमात, राजस्थानीय, कुमारामात्य, उपरिक विषयपति, भट्टचाट सेवक, प्रतिवासी जनपद तथा महाक्षपटल।

1. महासामन्त या महाराज:— यह अधिनस्थ राजाओं की उपाधी दी जाती थी। यह परम्परा गुप्तकाल से ही चली आ रही थी।

2. दौस्साध्य और साधनिक:— इसका वास्तविक अभिप्राय नहीं है सम्भवतः इसका अर्थ आरक्षण या सिपाही हो सकता है।

3. प्रमातार:→ इस अधिकारी द्वारा भूमि सर्वेक्षण किया किया जाता था।

4. राजस्थानीय → डा० भगवान लाल इन्द्रजीत ने इसे एक तरह का विदेशी सचिव मानते हैं।

5. उपरिक:— यह एक तरह का तकनीकी पदाधिकारी था।

6. कुमारामात्य:— यह एक विवादास्पद पद है। इस शब्द का उल्लेख बहुत से महत्वकालीन लेखों में पाया जाता है इस शब्द को दो भागों में बाँटा गया है कुमार+अमात्य साधारणतः इसका अर्थ होता है किसी राजकुमार का मंत्री होना जो राज्यपाल की तरह काम करते थे।

7. विषयपति:— यह जिलाधीश के तरह अधिकारी होते थे

8. भट्टचार सेवक:— ये सम्भवतः सैनिक या पुलिस अधिकारी होते थे।

9. महाक्षपटल:— ये लेखा-जोखा रखनेवाले अधिकारी होते थे।

10. प्रतिवासी जनपद:— इसके सही अर्थ के जानकारी का अभाव है।

हर्ष सम्वत:—

बांसखेरा ताम्रपत्र अभिलेख का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस अभिलेख में वर्द्धन परिवार की वंशतालिका दी गई है। यह वंशतालिका हर्षवर्द्धन के दूसरे अभिलेखों में वर्णित वंशतालिका से मिलती जुलती है। इस अभिलेख में 22वाँ वर्ष लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि हर्षवर्द्धन ने एक सम्वत जारी किया हो जिसका प्रारम्भ 606 ई० में हुआ हो यानि जिस समय हर्षवर्द्धन गद्दी पर बैठा था। प्रस्तुत: अभिलेख हर्षवर्द्धन के 22वें शासन काल में अंकित करवाया गया होगा। इस तरह यह अभिलेख 606 + 22 = 628 ई० में उत्कीर्ण करवाया गया होगा।

इस अभिलेख में भूमिदान से सम्बन्धित दो ब्राह्मणों का उल्लेख है। इसका नाम बालचन्द्र तथा भद्रस्वामी था। ये दोनों भारद्वाज के रूप में कुछ गांव दान दिया था।

राजस्व पद्धति:—

इस अभिलेख में कुछ राजस्व

Scanned with CamScanner

के सम्बन्ध में वर्णन मिलता है जो आयकर के रूप में जानकारी होती है। इनमें से एक राजस्वनाम "उद्रंग" था। यह सम्भवत: छोटे करों के लिए प्रयुक्त होता था। दूसरा राजस्व नाम 'भाग' मिलता है। यह सम्भवत: व्यक्तिगत अधिकार वाली भूमि के उत्पादन का छठा भाग होता था तथा तीसरा राजस्व कर "भोग" मिलता है। विद्वानों के अनुसार — यह राज्य अधिकृत भूमि के उपभोग के बदले में दिए जाने वाले कर को कहा जाता था।

जो सारे कर नगद या किसी अन्य रूपों में लिए जाते थे। बांसखेड़ा अभिलेख के अनुसार कुछ ब्राह्मणों को इनकरों से मुक्त भी कर दिया जाता था।

निष्कर्ष →

अत: संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख से हमें वर्द्धन परिवार की वंशावली उनके शासन प्रबन्ध इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में हर्षवर्द्धन द्वारा अधिकारियों तथा उनके कार्यों के विषय में भी मालूम पड़ता है। इस अभिलेख से हमें हर्षकालीन संवत के बारे में भी पता चलता है जो कि 606 या 607 ई0 में शुरू हुआ था। तथा इसके अलावा बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख से वर्द्धन परिवार के राजाओं के धार्मिक झुकाव का भी भी पता चलता है अत: हर्षवर्द्धन का बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है।